



टी बोर्ड भारत Tea Board India
14, बी.टी.एम सरनी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता 700001
14, B.T.M Sarani (Brabourne Road) Kolkata 700 001
www.teaboard.gov.in

संदर्भ सं. 20(10)/2023/संवर्धन/भाग-I

दिनांक: 22.08.2024

19-22 सितंबर, 2024 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व खाद्य भारत में टी बोर्ड भारत के साथ भागीदारी के लिए परिपत्र

ए. पृष्ठभूमि

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (ख.प्र.उ.मं.) 19 से 22 सितंबर, 2024 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विश्व खाद्य भारत (वि.ख.भा) 2024 का आयोजन कर रहा है, जिसमें वैश्विक खाद्य पारिस्थितिकी तंत्र से निवेशक, निर्माता, उत्पादक, खाद्य प्रसंस्करणकर्ता, नीति निर्माता एवं संगठन एक साथ आएंगे। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी, सम्मेलन एवं विषयगत ज्ञान सत्र, बी2बी, बी2बी एवं ही2बी बैठकों के लिए रिवर्स बीएसएम, भारतीय राज्य और अंतर्राष्ट्रीय शिविर, सीईओ गोलमेज सम्मेलन और फूड स्ट्रीट, स्टार्ट-अप पुरस्कार आदि शामिल हैं।

वि.ख.भा 2024 का उद्देश्य भारत को विश्व की खाद्य डालिया के रूप में प्रदर्शित करना तथा खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी एवं उपकरण, विनिर्माण, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन और खाद्य खुदरा क्षेत्र में निवेश और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है।

विश्व खाद्य भारत 2024 के दौरान एक रिवर्स क्रेता-विक्रेता मीट (आरबीएसएम) का आयोजन किया जा रहा है, जहां विश्व के विदेशी क्रेताओं को प्रदर्शकों के साथ बी-2-बी एवं बी-2-जी बैठकें करने और खाद्य एवं पेय क्षेत्र में बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, टी बोर्ड भारत ने एक प्रभावशाली भारतीय चाय शिविर के माध्यम से वि.ख.भा 24 में भाग लेने का निर्णय लिया है। तदनुसार, इच्छुक हितधारकों से अनुरोध है कि वे टी बोर्ड भारत के साथ विश्व खाद्य भारत 2024 में भागीदारी के लिए अपने आवेदन 31 अगस्त, 2024 तक भेज दें। (यदि आयोजन में संयुक्त भागीदारी के लिए अपेक्षित कंपनियों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है, ताकि टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग किया जा सके, तो टी बोर्ड कट-ऑफ तिथि बढ़ा सकता है।)

गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी “विश्व खाद्य भारत 2024” के दौरान एक “रिवर्स क्रेता-विक्रेता मीट (आरबीएसएम)” का आयोजन किया जा रहा है, जहां विश्व के अंतर्राष्ट्रीय चाय क्रेताओं/हितधारकों को प्रदर्शकों के साथ बी-2-बी और बी-2-जी बैठकें करने और चाय क्षेत्र में बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने तथा भारतीय चाय निर्यात संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

आरबीएसएम में निर्बाध सहयोग देखने को मिलेगा और इससे अनेक लाभ प्राप्त होंगे, जिनमें संभावित साझेदारों के साथ बातचीत, नए उत्पादों और नवाचारों से परिचय, उद्योग के रुझानों पर गहन चर्चा और मूल्यवान बी2बी संपर्कों का निर्माण शामिल है।

सामान्य दिशानिर्देश

1. आवेदन प्रस्तुत करने से पहले आवेदक को केन्द्रीय या राज्य सरकार के कानूनों, नियमों और विनियमों के तहत सभी आवश्यक वैधानिक अनुपालन प्राप्त करने होंगे।
2. आवेदक के पास अवश्य होना चाहिए
 - क) चाय बोर्ड के साथ पंजीकृत अथवा छोटे चाय उत्पादकों के मामले में, क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां चाय बोर्ड ऐसी संस्थाओं को पंजीकृत नहीं करता है।
 - ख) सभी व्यक्तिगत आवेदकों को आधार और बैंक खाते के विवरण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
 - ग) सभी आवेदनों के साथ अप्रतिदेय आवेदन शुल्क संलग्न होना चाहिए

3. चाय अधिनियम 1953 के उल्लंघन या आवेदक की ओर से किसी धोखाधड़ी गतिविधि या योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप न होने की स्थिति में, आवेदक को प्रति वर्ष रेपो दर + 5% की दर से ब्याज सहित वित्तीय सहायता/सहायिकी वापस करनी होगी, और ऐसा न करने की स्थिति में, टी बोर्ड द्वारा इसकी वसूली की जाएगी। इसके अलावा, ऐसी संस्थाएँ टी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किसी भी योजना के तहत सहायता के लिए भी अपात्र होंगी, जब तक कि ऐसी वसूली पूरी नहीं हो जाती और टी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की गई पाँच वर्ष तक की अवधि से अधिक नहीं।
4. ऐसे व्यक्तियों के आवेदन जो स्वीकृति प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्ताव, पुरस्कार, उपहार या कोई भौतिक लाभ या कोई दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। जानबूझकर गलत/ अनुचित जानकारी देकर, मिथ्या प्रस्तुतीकरण और जानकारी को छिपाकर लाभ प्राप्त करने वाले आवेदकों के विरुद्ध लागू ब्याज सहित वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

पात्रता मापदंड

1. 19 से 22 सितंबर, 2024 19 से 22 सितंबर, 2024 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व खाद्य भारत 2024 में टी बोर्ड के साथ भाग लेने के लिए इच्छुक चाय कंपनियों/आवेदकों को टी बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
2. आवेदकों को यह वचन देना होगा कि वे व्यापार और कारोबार से संबंधित किसी भी आधार पर किसी जांच/आरोप/अभियोजन/निषेधित/काली सूची में नहीं हैं।

शर्तें

1. केवल भारतीय चाय को ही कार्यक्रमों में प्रकाशन, नमूना एवं प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भारतीय चाय जिसमें कैमेलिया साइनेंसिस जैसा प्रमुख घटक न हो, साथ ही भारत के अलावा अन्य मूल की चाय को किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शित, नमूना/ विक्रय/संवर्धन नहीं किया जाना चाहिए। टी बोर्ड के साथ घरेलू मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए, प्रत्येक आवेदक को यथासंभव न्यूनतम विशेष स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।

विशेष स्टॉलों का आवंटन (अर्थात् विशेष आवेदक को आवंटित व्यक्तिगत स्टॉल का स्थान, स्थिति आदि) लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। टी बोर्ड मंडप के भीतर किसी विशेष स्थान/स्थिति/अवस्थिति के लिए इच्छुक आवेदकों के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

2. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन सौंदर्यपूर्ण तरीके से रखा गया है और प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उन्हें आवंटित स्थान पर उचित रूप से कर्मचारी मौजूद हैं। टी बोर्ड शिविर में एक अच्छा शो लगाने के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताएं जैसे कि चाय स्वाद एवं चाय के नमूने लेने की गतिविधियों के संचालन के लिए अनुभवी कर्मियों की भर्ती, यात्रा, आवास, नमूना लेने के उपकरण, रसद, कर्मचारियों के लिए स्मार्ट लिवरी, प्रदर्शन सामग्री, सहायक उपकरण, अतिरिक्त साज-सज्जा और अन्य आकस्मिक शुल्कों की व्यवस्था कंपनी-आवेदक को करनी होगी और उन्हें वहन करना होगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भाग लेने वाली चाय कंपनियों के सभी प्रतिनिधि कार्यक्रम की पूरी अवधि से लेकर इसके समापन तक औपचारिक पोशाक में रहें।
3. प्रदर्शनी लगाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधि अधिमानतः वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के होने चाहिए। कार्यक्रम के पूरा होने से पहले स्टॉल खाली छोड़ना गंभीरता से लिया जाएगा और इससे टी बोर्ड द्वारा अगले कार्यक्रम में भागीदारी को अस्वीकार किया जा सकता है।
4. समूह कंपनियों के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
5. यदि भागीदारी की पुष्टि कर चुका आवेदक कार्यक्रम शुरू होने के एक महीने पहले भागीदारी से पीछे हट जाता है तो अग्रिम भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क अधिभूत कर लिया जाएगा।
6. किसी विशेष आयोजन/मेले/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, आवश्यकता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी:
 - i. मूल्य संवर्धित/जैविक चाय/विशेष चाय का कारोबार करने वाली कंपनियां/आवेदक
 - ii. एमएसएमई
 - iii. लघु चाय उत्पादक/स्टार्ट अप
 - iv. बड़ी कंपनियां
7. किसी विशेष श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एसटीजी को प्रत्येक आवेदक के लिए भागीदारी शुल्क के रूप में 1000 रुपये + जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, स्टॉल के लिए किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छोटे उत्पादकों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा।

8. टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएं जैसे आवास, नमूना उपकरण, रसद, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि और अन्य आकस्मिक शुल्क कंपनी द्वारा व्यवस्थित किए जाएंगे और कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे।
9. स्व-घोषणा कि कंपनी ने किसी विशेष आयोजन के लिए सरकार की किसी अन्य योजना या किसी अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन से लाभ नहीं लिया है और न ही लेगी।
10. कंपनियों के लिए गत तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीए द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र
11. प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और आवेदक कंपनियों की भागीदारी के बारे में जल्द से जल्द सूचना दी जाएगी। आवेदनों की जांच पूरी होने के उपरान्त भागीदारी के लिए मंजूरी दी जाएगी, बशर्ते कि निधि की उपलब्धता हो।
12. आयोजन के बारे में रिपोर्ट एवं प्रतिपुष्टि, उत्पन्न जागरूकता, प्राप्त आदेश आदि आयोजन के समापन की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आवेदन की प्रक्रिया

1. भागीदारी में रुचि रखने वाली चाय कंपनियों/आवेदकों को अनुलग्नक-1 के अनुसार भागीदारी में अपनी रुचि की सूचना देते हुए टी बोर्ड को आवेदन करना होगा।
2. टी बोर्ड के साथ प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए आवेदन पर केवल सभी अपेक्षित दस्तावेज एवं दिशानिर्देशों के अनुसार भागीदारी शुल्क प्राप्त होने पर ही विचार किया जाएगा।
3. विश्व खाद्य भारत 2024 के लिए आवेदन एवं भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31.08.2024 दिन के अंत तक है।

आवेदन एवं भागीदारी शुल्क

- 1) आवेदन शुल्क के रूप में 5, 000/- + जीएसटी जमा करना होगा। वैध स्मार्ट कार्ड वाले लघु चाय उत्पादकों को 1000/- + जीएसटी का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लघु चाय उत्पादकों को छूट दी गई है।

आवेदन शुल्क निम्नलिखित बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए:

बैंक खाते का नाम: टी बोर्ड टी फंड कलेक्शन

बैंक: भारतीय स्टेट बैंक

शाखा: एन.एस रोड, कोलकाता, शाखा कोड: 0144

खाता न. 1107799307

आईएफएससी: SBIN0000144

- 2) आवेदन के समय भागीदारी शुल्क के रूप में 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) का अग्रिम भुगतान करना होगा।

शुल्क निम्नलिखित बैंक खाते में जमा किया जाना चाहिए:

बैंक खाते का नाम: टी बोर्ड बाजार संवर्धन योजना

खाता न. 00260200000807

आईएफएससी: BARB0BRABOU (पांचवां अक्षर 'शून्य' है)

बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रेबोर्न रोड

- 3) यदि कोई चयनित प्रतिभागी प्रतियोगिता प्रारंभ होने की तिथि से एक माह पूर्व अपना नाम वापस ले लेता है तो उसका आवेदन एवं भागीदारी शुल्क अधिहृत कर लिया जाएगा।

प्रस्तुत किए जाने वाले अनिवार्य दस्तावेज

1. टी बोर्ड इंडिया द्वारा जारी वैध पंजीकरण की प्रति
2. लघु चाय उत्पादकों के मामले में, एसटीजी स्मार्ट कार्ड की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
3. शुल्क में छूट का दावा करने के लिए एसटीजी स्मार्ट कार्ड के अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित एसटीजी के जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

4. स्टार्ट-अप के मामले में, डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा जारी स्टार्ट-अप इंडिया पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
5. जैविक चाय का कारोबार करने वाली कंपनियों के मामले में, एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन निकाय द्वारा जारी एनपीओपी प्रमाण पत्र की प्रति।
6. आवेदन शुल्क एवं भागीदारी शुल्क के प्रेषण को दर्शाने वाले लेनदेन का विवरण, जैसा लागू हो (स्थानांतरित राशि, लेनदेन की तिथि एवं यूटीआर संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए)

सहायता का पैमाना

- 1) सुसज्जित स्टाल की कुल लागत का 60%।
- 2) स्टार्ट-अप के मामले में उनके सुसज्जित स्टॉल के लिए कुल लागत का 80%।
- 3) दोनों पक्षों की ओर से अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, आयोजन के समापन के बाद अंतिम गणना के आधार पर समायोजित (वापस/वापस ली) कर दी जाएगी।
- 4) टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएं जैसे आवास, नमूना उपकरण, रसद, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि और अन्य आकस्मिक शुल्कों की व्यवस्था प्रतिभागी को स्वयं करनी होगी और उसे वहन करना होगा।

परिपत्र की हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी प्रति

सभी आवेदकों से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर नियमों और शर्तों को स्वीकार करें तथा इसे टी बोर्ड को प्रस्तुत करें।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने सहित सभी संचार निम्नलिखित निदेशांकों पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

प्रचार अधिकारी,

टी बोर्ड भारत

14. बी.टी.एम. सारणी (ब्रेबोर्न रोड)

कोलकाता 700001 फ़ोन नंबर +91 33 2235 1331 एक्सटेंशन 271 (हार्ड प्रतियां)

dipannita.teaboard@gmail.com, dpmajumdar.tbi@nic.in (सॉफ्ट प्रतियां)

-हस्त-

(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव

अनुलग्नक-1

19-22 सितंबर, 2024 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व खाद्य भारत 2024 में टी बोर्ड भारत के साथ भाग लेने के लिए आवेदन,

क्र. सं.	विषय	विवरण		
1	फर्म/कंपनी/आवेदक/संगठन का नाम			
2	संपूर्ण संचार निर्देशांक (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पंजीकृत कार्यालय का पता)			
3	मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने वाले अधिकारी (अधिकारियों) का नाम एवं पदनाम			
4	समूह कंपनी/आवेदक का नाम, यदि कोई हो			
5	टी बोर्ड के साथ पंजीकरण दर्शाने वाले दस्तावेजों का नाम एवं नंबर			
6	पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी का वार्षिक कारोबार	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
7(i)	गत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान औसत निर्यात (मात्रा, भारतीय रुपया एवं अमेरिकी डॉलर में मूल्य, इकाई मूल्य प्राप्ति)			
7(ii)	गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान मूल्य-वर्धित खंड में कारोबार के औसत प्रतिशत के संकेत के साथ औसत घरेलू वार्षिक कारोबार			

अनुलग्नक-2

घोषणा प्रारूप

मैं/हम सत्यनिष्ठा से वचन देते/घोषणा करते हैं कि ऊपर वर्णित विवरण मेरे/हमारे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

यदि कोई भी सूचना गलत, त्रुटिपूर्ण या भ्रामक पाई जाती है, तो हम टी बोर्ड के साथ आगामी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होंगे, तथा इस संबंध में हमारे विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यदि जांच के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि मुझे/हमें कोई अतिरिक्त भुगतान किया गया है, तो उसे मेरे/हमारे फर्म द्वारा किए जाने वाले किसी भी बाद के दावे के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है, या यदि कोई बाद का दावा प्रक्रिया में नहीं है, तो भुगतान की गई अतिरिक्त राशि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की सीमा तक वापस कर दी जाएगी।

हस्ताक्षर_____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)_____

पदनाम_____

आवेदक/फर्म का नाम_____

कार्यालय मुहर_____

स्थान:

दिनांक: